Appointment of Apprentices in S.T.C.

3629. SHRIMATI USHA VERMA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about a dozen persons, who were appointed as apprentices by the State Trading Corporation, Headquarters at New Delhi, are still being continued on daily wages on successful completion of the apprenticeship period;

(b) whether the aforesaid persons have qualified in the tests in General English, General Knowledge and Typewriting conducted by the STC and even through certain independent agencies engaged by the S.T.C.; and

(c) in view of Government's recent decision and P.M.'s directive that the apprentices should be absorbed on a regular basis upto 50 per cent of direct recruitment vacancies, when these apprentices, who have been in STC for the last 3-4 years on a continous basis, will be appointed on a regular basis?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KHURSHED ALAM KHAN): (a) Only three persons who had completed apprenticeship period successfully were engaged on daily wage basis after they had completed their apprenticeship training for the stipulated period and had ceased to be apprentices. Their daily wage employment is not linked with their apprenticeship training.

(b) Out of the above three only one has qualified in 1977. No appointment was made as a result of this selection (except in the reserved categories) due to economy measures announced by Government.

(c) All the trained apprentices will be given preference over other candidates at the time of regular recruitment provided they satisfy the eligibility conditions and qualify the selection tests. The posts will be filled up by such trained apprentices to the extent of their availability.

भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां

3630. **श्री चन्द्र पाल शैलानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय स्टेट बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ (पंजीकृत), नई दिल्ली द्वारा "भारतीय स्टेट बैंक का नाम बड़ा पर दर्शन छोटे" शीर्षक से निकले गए इश्तिहारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त इश्तिहार में उठाये गए प्रत्येक मुद्दे के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क). जी, हां ।

(ख) और (ग). भारतीय स्टेट बैंक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ, नई दिल्ली द्वारा निकाले गए इश्तिहार में लगाए गए आरोपों के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक से एक रिपोर्ट मंगाई गई थी । बैंक ने बताया कि संघ द्वारा उक्त इश्तिहार में लगाए गए आरोप निराधार हैं ।

बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित कर्मचारियों के साथ शाखाओं में कोई भेदभाव नहीं किया जाता तथा उन को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया जाता, जैसा कि आरोप लगाया गया है ।

बैंक की एक स्कीम है, जिसके अन्तर्गत भृत्यगण स्टाफ को जिसने 5 वर्ष की सेवा पूरी करली है और चौथी कक्षा पास है ; अधीनस्थ संवर्ग में उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाता है। मैट्रीकुलेट कर्मचारियों की भी 5 वर्ष की